

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

Notification

New Delhi, the 23^d December, 2014

S.O.------(E). - In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the 'Karnataka Computerisation of Police Society', a body constituted by the Government of Karnataka, in respect of the following specified income arising to that Society, namely:-

- (a) amount received in the form of grants-in-aid from Government of India;
- (b) interest earned on grants-in aid from Government of India.

2. This notification shall be applicable for financial years 2013-14 to 2017-18.

3. The notification shall be subject to the following conditions that Karnataka Computerisation of Police Society:

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial year; and
- (c) it files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the said Act.

(Notification No. 87 /2014 F.No.196/20/2013-ITA.1)



(Deepshikha Sharma)

Director to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

Ms. Kelle
L

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक: 23 दिसम्बर, 2014

का.आ. (अ)- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ कर्नाटक सरकार द्वारा गठित निकाय 'कर्नाटक कम्प्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस सोसाइटी' को उक्त संस्था को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात:-


- (क) भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि;
- (ख) भारत सरकार से सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक लागू होगी।

3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी कि कर्नाटक कम्प्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस सोसाइटी:

- (क) किसी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगी;
- (ख) इसकी गतिविधियां और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष में अपरिवर्तित रहती है; और
- (ग) यह उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करती है।

[अधिसूचना संख्या: 87 /2014/फा.सं.196/20/2013-आकनि.।]



(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार